

11.03.2024:—पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वकील वादी उपस्थित नहीं आएँ। वादी व वादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

